सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-241/2022 दिनांक- 29-जुलाई-2022

प्रेस विज्ञप्ति

थाना सिधारी, आजमगढ़

गांजा तस्करी में वांछित 25 हजार इमानियां सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, 125 किलो ग्राम नाजायज गांजा के साथ अवैध असलहा व कारतूस बरामद।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 29.07.2022 को स्वाट द्वितीय प्रभारी गजानन्द चौबे, उ0नि0 श्री प्रकाश शुक्ला मय हमराह पुलिस टीम के पहलवान तिराहे पर मौजूद थे वहीं प्र0नि0 सिधारी स्वतंत्र कुमार सिंह मय हमराह पुलिस बल उ0नि0 कमल नयन दूबे मय हमराह के जहां पर आपस में अपराध एवं अपराधियों के चर्चा कर रहे थे इसी बीच मुखबिर खास ने आकर बताया कि साहब कुछ गांजा तस्कर ग्राम सलारपुर के राकेश यादव उर्फ सोनू यादव के घर के अहाते में मौजूद है गांजा तस्करी की योजना बना रहे हैं। इस सूचना से हमराही फोर्स को अवगत कराते हुए नियमानुसार कार्यवाही करते हुए राकेश यादव उर्फ सोनू यादव के घर के अहाते के पास पहुंचा कि राकेश यादव अपने घर के अहाते में भूसे की करकट वाली रूम के पास दिखायी दिया पुलिस बल को देखते ही राकेश यादव चिल्लाते हुए खेतों के तरफ भागा अन्य सभी अभियुक्त भूसे के ढेर में गांजा के छोटे बड़ो पैकेटों को छिपाने का प्रयास करने लगे कि तभी पुलिस बल ने सिखलाये हुए तरीके से घेर घारकर मौजूद अभियुक्तों को समय 08.20 am पर गिरफ्तार कर लिया। जिनके कब्जे से भूसे के ढेर में छिपाकर व्यवस्थित तरीके से रखे हुए गांजा के कुल 49 पैकेट जिनका वजन लगभग 125 किलोग्राम है, बरामद किया गया तथा अभियुक्त सूर्यभान यादव के कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। मौके पर क्षेत्राधिकारी लालगंज/क्राइम श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी की मौजूदगी में सभी बरामद गांजा के पैकटों को आठ सफेद प्लास्टिक की बोरियों में रखकर सील सर्वमुहर किया गया।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि राकेश यादव उर्फ सोनू जो पहले से भी गांजा बेचने का धन्धा करता है तथा रामनयन जो मुबारकपुर के गांजा तस्करी में वांछित और 25000/- रूपये का इनामिया भी है हम सभी लोग यह गांजा जगदलपुर से विभिन्न वाहनों से गांजा लाते हैं एवं इसे राकेश यादव उर्फ सोनू ग्राम सलारपुर के घर पर अहाते में भूसे आदि में छिपाकर रखकर आस पास के जनपदों जैसे आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ में परवेज, आनन्द गुप्ता के सहयोग से संगठित रूप से गांजा बेंचकर अपने आर्थिक भौतिक हितों की पूर्ति करते है । रामनयन जो मुबारकपुर के मु0अ0सं0- 277/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में वांछित अभियुक्त भी है जिसकी गिरफ्तारी पर 25000/- रूपये का इनाम भी पूर्व से घोषित है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0- 293/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

मु0अ0सं0- 294/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

(I)अभियुक्त सूर्यभान यादव पुत्र स्व0 बालचन्द्र यादव निवासी ग्राम अमदही थाना जहानागंज जनपद आजगढ़

1.मु0अ0सं0-17/21 धारा 323/376/392/504/506 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़

2. मु0अ0सं0- 293/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

3.मु0अ0सं0- 294/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

(II)अभियुक्त रामनयन पुत्र समई राम निवासी मंगरांवा रायपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ (वांछित व इनामिया 25000/-)

1.मु0अ0सं0- 38/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

2.मु0अ0सं0- 40/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

3. मु0अ0सं0- 43/17 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

4.मु0अ0सं0- 277/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुबारकपुर आजमगढ़ **(वांछित व इनामिया 25000/-)**

5.मु0अ0सं0- 30/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ़

6. मु0अ0सं0- 293/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट भादवि थाना सिधारी आजमगढ

(III)अभियुक्त शिवप्रकाश विश्वकर्मा उर्फ छोटू पुत्र श्यामलाल निवासी कमरूद्दीनपुर थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर

1. मु0अ0सं0- 293/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

बरामदगी

1. 125 किलोग्राम अवैध गांजा

2. 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1.निरीक्षक गजानन्द चौबे प्रभारी स्वाट टीम द्वितीय आजमगढ़ मय हमराह

2.प्र0नि0 स्वतंन्त्र कुमार सिंह थाना सिधारी आजमगढ़ मय हमराह

3.उ0नि0 श्रीप्रकाश शुक्ला स्वाट टीम द्वितीय आजमगढ़ मय हमराह

4.उ0नि0 कमल नयन दूबे चौकी प्रभारी मूसेपुर मय हमराह